From,

Vishnu Chandra Gupta, H.J.S.,
Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

All the District & Sessions Judges,
Subordinate to the High Court of Judicature at
Allahabad.

No. 129/D.R.(S)/2012, Dated Allahabad: March 29, 2012

Subject: **Regarding extension of the term of 156 Courts/ post of the Additional District & Sessions Judge (Ex-cadre) upto 28.2.2013**

Sir,

I am directed to say that the term of 156 Courts/ posts of the Additional District & Sessions Judge (Ex-cadre) has been extended upto 28.2.2013 by the Government vide G.O. No. 153/ VII-Nyay-2-2012-40G/ 2001 TC dated 6.3.2012. (copy enclosed for ready reference).

I am, therefore, to request you kindly to take necessary steps accordingly.

Yours Faithfully,

Encl: As above

sd/-

Registrar General

संख्या–153/सात–न्याय–2–2012–40जी/2001टी0सी0

प्रेषक,

श्री के0के0 शर्मा,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग–2(अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊः दिनांक 01 मार्च, 2012

विषयः–प्रदेश में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के 156 न्यायालयों/पदों सहित विभिन्न श्रेणी के कुल 780 निःसंवर्गीय पदों के कार्यकाल में वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक (सेवायें), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–1068/मेन–बी/एडमिन (ए–3), दिनांक 19 जनवरी, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के 156 अस्थाई न्यायालयों/निःसंवर्गीय पदों सहित विभिन्न श्रेणी के कुल 780 निःसंवर्गीय पदों का सृजन शासनादेश संख्या–552/सात–न्याय–2–2011–40जी/2011, दिनांक 31–3–2011 द्वारा किया गया था।

2– उक्त न्यायालयों/अस्थायी निःसंवर्गीय पदों का कार्यकाल, निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन यदि ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाय दिनांक 30–3–2012 से 28–2–2013 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं। प्रतिबन्ध यह है कि "लेखानुदान" की अवधि के बाद उक्त न्यायालयों/पदो को उसी दशा में जारी रखा जायेगा, जब उनके लिये आवश्यक धनराशि वर्ष 2012–2013 के मूल आय–व्ययक एवं संबंधित विनियोग के माध्यम से उपलब्ध हो जाय।

3– उक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–42 के अंतर्गत लेखा शीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–आयोजनेत्तर –105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–03–जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश" के अंतर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

4– ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या–335/दस–2012, दिनांक 01 मार्च, 2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है ।

भवदीय,

(के0के0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

–2–

संख्या–153(1)/सात–न्याय–2–2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त निबन्धक (सेवायें), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या–1068/मेन–बी/एडमिन (ए–3), दिनांक 19 जनवरी, 2012 के क्रम में ।
2. महालेखाकार, (लेखा–2/आडिट–2), उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. प्रमुख सचिव, नियुक्ति, उ0प्र0 शासन।
4. निबन्धक, उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
5. उप निबन्धक (बजट), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6. समस्त जनपद न्यायाधीश/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. वित्त (ई–12) अनुभाग ।
8. न्याय अनुभाग–9(बजट)
9. वित्त (लेखा) अनुभाग–2
10. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सै0मो0 हसीब)
विशेष सचिव।